

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल-3 ग्रेड पे 2000 के पद पर 33.33% विभागीय पदोन्नति कोटा (33.33% Gen selection) के अन्तर्गत रिक्त पदों को चयन के माध्यम से भरे जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया है। वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल-3 ग्रेड पे 2000 के पद पर 33.33% पदोन्नति कोटे की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतन बैंड, ग्रेड पे एवं लेवल	कुल रिक्तियां	रिक्तियों का बंटवारा			कुल 90 रिक्तियों में पीडब्लूबीडी का बंटवारा		
				सामान्य	अजा0	अजजा0	एचएच	ओएच	एमडी
1	वाणिज्य सह टिकट लिपिक	5200-20200 + ग्रेड पे 2000 लेवल-3	90	71	12	07	2	1	1

उपरोक्त रिक्तियों को विभागीय चयन के आधार पर भरा जाना है।

(1) पात्रता मानदण्ड एवं योग्यता:-

(1) आरबीई सं० 16/2021 दिनांक 04.03.2021 एवं 87/2023 दिनांक 11.07.2023 के निर्देशानुसार उपरोक्त वाणिज्य सह टिकट लिपिक , लेवल/3 की 33.33% रिक्तियों को सामान्य चयन के आधार पर भरने हेतु वाणिज्य एवं परिचालन विभाग के लिपिकीय संवर्ग (Ministerial) के कर्मचारियों को छोड़कर लेवल-1 एवं लेवल-2 के कर्मचारी तथा वाणिज्य विभाग के सफाईवाला संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।

(2) वाणिज्य एवं परिचालन विभाग के लेवल-1 एवं लेवल-2 में कार्यरत पात्र कर्मचारी जो हाईस्कूल उत्तीर्ण हैं एवं जिनकी निचले ग्रेड में 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो चुकी है, वे इस चयन में सम्मिलित होने हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं।

(3) आरबीई सं० 69/2024 दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल-3 ग्रेड पे 2000 के पद हेतु चिकित्सा श्रेणी बी/2 में पास होना अनिवार्य होगा। पात्र कर्मचारियों को बी/2 चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होने की दशा में ही प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

(4) विकलांग कोटे के कर्मचारियों को अपना विकलांगता प्रमाण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले नियमित कर्मचारी संलग्न प्रोफार्मा /अनुलग्नक -क पर अपना सेवा विवरण तथा जन्मतिथि के लिये हाईस्कूल पास का प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करें। यदि आवेदक कर्मचारी आरक्षित संवर्ग से हो तो जाति प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। उक्त प्रमाणपत्रों के संलग्न न होने पर कर्मचारी के आवेदन को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जायेगा।

2. चयन की प्रक्रिया:-

वाणिज्य विभाग में वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200-20200 ग्रेड पे/2000 लेवल-3 के 33.33% कोटे के अन्तर्गत विभागीय चयन की प्रक्रिया रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)I-2018/PM/1/4 New Delhi dt. 14.11.2019 (आरबीई सं० 198/2018 व 194/2019) में निहित निर्देशों के अनुसार निम्नवत् होगा-

(1) वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200-20200 ग्रेड पे 2000 लेवल-3 के 33.33% विभागीय चयन की अन्तिम नामिका को मेरिट के क्रम में तैयार किया जायेगा।

By 12/11/24

(2) परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित समुदाय (UR) के कर्मचारियों को सीबीटी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित समुदाय (SC/ST) के कर्मचारियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगा।

(3) लिखित परीक्षा:-

आरबीई सं० 196/2018, आरबीई सं० 122/2023 के अनुसार प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी होगा और 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्नपत्र में 110 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न ही हल करने होंगे। कुल प्रश्नों के 10 प्रतिशत राजभाषा नीति और नियम से संबंधित होंगे जिसे हल करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक (Negative marking) का प्रावधान रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी 100 प्रश्न से अधिक हल करता है तो हल किये गये केवल प्रथम 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा। आरबीई सं० 05/2024 के आधार पर लिखित परीक्षा संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन Computer Based Test (CBT) के माध्यम से होगी। उपरोक्त सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण कर्मचारी को इस परीक्षा में दोबारा सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जायेगा। चिकित्सा श्रेणी बी-टू में उत्तीर्ण होने की दशा में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने के उपरान्त उन्हें वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200-20200 ग्रेड पे 2000 लेवल-3 में अनन्तिम रूप से पदोन्नति दी जायेगी। प्रशिक्षण अनुत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें उनके मूल पद/कैंडर में वापस भेज दिया जायेगा। मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.09.25 द्वारा जारी पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न है।

(4) कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के लिए सूचना :-

(1) इस अधिसूचना में अंकित तथ्यों तथा रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के तत्सम्बन्धी निर्देशों एवं परिपत्रों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में समय-समय पर मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड से जारी दिशानिर्देश मान्य होंगे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) इस अधिसूचना को ही तत्परता सूचना समझा जाये। निर्धारित अवधि के पश्चात पात्र कर्मचारियों को अल्पकालिक सूचना पर लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जा सकता है।

(3) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे प्रशासन चयन/उपयुक्तता प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेज/शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थ होने या उम्मीदवार के किसी दस्तावेज में अनियमितता पाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध अपराधिक/सर्तकता/डीएआर सम्बन्धी मामला लम्बित होने पर उन उम्मीदवारों के आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) प्रभारी/पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे उन्हीं कर्मचारियों का विकल्प अग्रसारित करें जो पात्रता पूर्ण करते हो, उपरोक्त के अलावा किसी और कर्मचारी का विकल्प अग्रसारित न करें। विकल्प देने वाले जो कर्मचारी पात्र होंगे उन्हें ही चयन में बुलाया जायेगा। कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से भरकर दिये गये आवेदनों को नियंत्रक अधिकारी से फोटो तथा हस्ताक्षर सत्यापित कराकर वाँछित विवरण के साथ दि००१.०१.२०२६ तक अपने नियंत्रक अधिकारी के पास जमा करेंगे। नियंत्रक अधिकारी उक्त आवेदनों का बंध बनाकर कवरिंग लेटर के साथ विशेष पत्र वाहक द्वारा दिनांक:-०९.०१.२०२६ तक इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। विकल्प देने वाले सभी पात्र कर्मचारी इस अधिसूचना को तैयारी हेतु नोटिस मानकर परीक्षा के लिये तैयार रहें।

(5) यदि इस अधिसूचना में आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान/रेलवे द्वारा जारी सर्कुलर/चयन के नियम और शर्तें छूट गये हो तो उन्हें वैध और सक्रीय माना जायें।

Signature

नोट-यद्यपि अधिसूचना जारी करने में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को समाहित किये जाने का प्रयास किया गया है परन्तु फिर भी यदि कोई तथ्य या नियम छूट गया है तो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी आपत्ती इस अधिसूचना के जारी किये जाने के 05 दिन के इस कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।

संलग्नक-

- 1-आवेदन का प्रारूप/ अनुलग्नक-क
- 2-पाठ्यक्रम ।

सकाधि/ ।।।

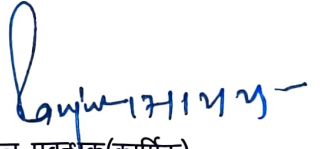
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ।

सं०:- ई/ ।।/ 254/ 33.33/ सलेक्शन/ वा०/ 2025

दिनांक-17.12.2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महाप्रबन्धक/ का०/ गोरखपुर
- 2- वमविप्र/ वमवाप्र/ लखनऊ
- 3- समस्त स्टेप्र/ स्टेधि/ वा०अधी०/ वानि०/ यानि० लखनऊ मण्डल
- 4-मुगानि/ कन्ट्रोल:- कृप्या उपरोक्त को अपने स्तर से प्रचारित एवं प्रसारित करें।
- 5- नोटिस बोर्ड
- 6-सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रभारी
- 7- मण्डल मंत्री एनईरेलवे मेन्स काग्रेस/ अजजा/ अजा/ लखनऊ


कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ।

अनुलग्नक-क

विषय:- लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के अधीन वाणिज्य सह टिकट लिपिक, ग्रेड पे 2000 लेवल-3 के 33.33 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य चयन हेतु आवेदन पत्र।
सन्दर्भ:-अधिसूचना सं०:- ई/॥/254/33.33/सलेक्शन/वा०/2025 दिनांक- 17.12.2025

1. कर्मचारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी) हिन्दी में
अंग्रेजी में
- 2.पिता/पति का नाम
- 3.जन्मतिथि.....
- 4.नियुक्ति तिथि.....
- 5.वर्तमान ग्रेड में प्रवेश की तिथि.....
- 6.वर्तमान ग्रेड में कुल सेवा की अवधि.....
- 7.पदनाम एवं लेवल (एमएसीपीएस को छोड़कर).....
- 8.वेतन दर.....
- 9.नियुक्ति का श्रोत.....
- 10.समुदाय (सामा०/अजा०/अजजा०).....
- 11.वर्तमान कार्यस्थल.....
12. नियंत्रक अधिकारी.....
- 13.भविष्य निधि सं०/एचआरएमएस आई.....
14. शैक्षणिक योग्यता.....
- 15.मोबाइल नं०.....
- 16.E-mail id-----
- 17.विकालंग- हॉ/नहीं (यदि हॉ तो विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें।).....

पासपोर्ट साइज
फोटो जो नियंत्रक
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित हों

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना/जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा/मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाय तथा मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर.....

कर्मचारी का नाम

पदनाम-

कार्यालय-

दिनांक-

स्थान-

नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक:- 150

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/123/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 140368) दिनांक :-15/09/2025

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे

विषय :- वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु कामन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- महाप्रबन्धक/कार्मिक/गोरखपुर का पत्र संख्या ई/2025/सर्कुलर/चार दिनांक 25.06.2025

विषयगत मामले में वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है-

Sr No.	Designation	Quota
1	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	33 1/3% (General Selection traffic and commercial staff)
2	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	16 2/3 % LDCE
3	वाणिज्य-सह-टिकट पर्यवेक्षक (लेवल-6)	75% DPQ

अतः उक्त मामले में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पाठ्यक्रम पर प्रमुवाप्र का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/यथोपरि

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1) महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एसोसियेशन/गोरखपुर

Digitally Signed by Vinod
Kumar Dwivedi
Date: 15-09-2025 17:32:15
Reason: कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

1/53124/2025

वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल - 3 पदोन्नति कोटा $33\frac{1}{3}\%$ (General selection traffic and commercial staff) एवं वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल - 3 पदोन्नति कोटा $16\frac{2}{3}\%$ (LDCE) के विरुद्ध

चयन हेतु पाठ्यक्रम

1. सामान्य हिंदी (20 अंक) - सामान्य हिंदी, व्याकरण कक्षा 10 के स्तर का, अपठित गद्यांश तथा रिक्त स्थान भरो।
2. सामान्य अंग्रेजी (20 अंक) - सामान्य अंग्रेजी, व्याकरण कक्षा 10 के स्तर का, अपठित गद्यांश तथा रिक्त स्थान भरो।
3. सामान्य अंक गणित (20 अंक) - जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समय-दूरी, प्रतिशत, लाभ-हानि
4. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी (20 अंक) -
5. रेल से संबंधित सामान्य प्रश्न (20 अंक) - भारतीय रेल का इतिहास, अनारक्षित टिकट से संबंधित जानकारी यथा UTS, JTBS, STBA, Mobile Ticket, आरक्षित टिकट से संबंधित जानकारी, ब्रेक जर्नी के नियम, निरस्तीकरण, शिकायत, Rail Madad एवं आरटीआई, पास नियम, छुट्टी नियम, वेतन एवं भत्ते, आचरण नियम तथा अनुशासन एवं अपील नियम
6. राजभाषा (वैकल्पिक 10 अंक) -